रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 155

No. 158] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936 [N.C.T.D. No. 155

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014

सं. एफ 9(26)/डी.ई.एस./ए.एस.आई./2013–14/9710–13.–सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 और 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची–I में उल्लिखित विवरण के अनुसार, विनिर्माण और इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों के संग्रहण, अब से **वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2013–14 (राज्य प्रतिदर्श)"** के रूप में संदर्भित, का निर्देश देता है ।

2. आगे, उपराज्यपाल, उक्त निर्देश के सन्दर्भ में नीचे दी गई अनुसूची–2 में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी को, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2013–14, (राज्य प्रतिदर्श) में दी गई भौगौलिक इकाईयों के सम्बन्ध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नामित करते हैं।

3. संबधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा प्रदत्त सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकार्डों के निरीक्षण और जैसा भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण मांगने के कार्य में लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अथवा प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।

4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2013–14 के संबंध में भाग–I तथा भाग–II में सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त किए गए आंकड़ों को विधिवत् सत्यापन और जांच के बाद अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2013–14 से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति, **सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7)** और **सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011** के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे।

अनुसूची–1

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन** :–वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2013–14 के माध्यम से, विनिर्माण, प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और जलापूर्ति तथा शीत भंडार से संबंधित कार्यकलापों वाले संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, सरंचना और ढांचे से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण किया जाता है।

2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र** :–सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2013–14, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित किया जाता है।

3. **आंकड़ा संग्रहण की पद्वति** :–प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के तहत सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उस तारीख, जब तक, अधिकारी अथवा कार्यालय जिसे, इकाई (यूनिट) और इकाइयों (यूनिट्स) जिनके लिए और फार्मेट जिसमें सूचना प्रदान की जानी है, का उल्लेख करेगा। सांख्यिकी अधिकारी सूचनादाताओं को, उन अन्य शर्तों पर निर्भर करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निर्धारित सूचना फाइल करने की अनुमति दे सकता है, जिन्हें वह नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा।

4. **सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं** :–इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी [यानि, कोई फैक्ट्री अथवा कोई विद्युत या गैस या जलापूर्ति प्रतिष्ठान अथवा बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत कोई उद्यम], जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा ।

5. यदि अलग अलग इकाइयों के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है तो, सांख्यिकी अधिकारी मालिक अथवा पदाधिकारी को एक ही प्रबन्ध के तहत दो या अधिक इकाइयों के संबंध में उन शर्तों पर निर्भर करते हुए समेकित सूचना प्रदान करने के लिए कह सकता है, जिन्हें उसने नोटिस में विनिर्दिष्ट किया है ।

6. **सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा करने की अवधि** :–नोटिस में प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा और आमतौर पर यह अवधि नवम्बर, 2014 से जून, 2015 के बीच होनी चाहिए।

7. **संदर्भ अवधि** :–सूचना, 1 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के मामले में 1 अप्रैल, 2013 और 31 मार्च, 2014 के बीच किसी भी तारीख को पड़ने वाले लेखाकरण वर्ष के लिए उपलब्ध करानी होगी ।

8. **एकत्र की जाने वाली सूचना का प्रकृति** :–अपेक्षित सूचना के दो भाग हैं, भाग–I परिसंपत्तियों तथा देयताओं, रोजगार और श्रम लागत, प्राप्तियों, व्यय, निर्देश की स्वदेशी तथा आयातित वस्तुओं, उत्पाद तथा उप–उत्पाद, वितरण सम्बन्धी खर्चे आदि से सम्बन्धित है। भाग–II श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं नामतः कार्य दिवस, नियोजित श्रम दिवस, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, नियोजित कार्य के घंटे, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में सूचना से सम्बन्धित है ।

9. **सूचनादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की भाषा** :–सूचनादाता, निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सूचना प्रदान करेगा।

10 **सूचनादाता के दायित्व** :–इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी से उसे प्राप्त नोटिस में उल्लिखित तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा। सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, वह निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड भी उपलब्ध कराएगा और मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रश्नों का उत्तर देगा।

11 **निरीक्षण किये जाने वाले कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों की प्रकृति** :–सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रमिक रजिस्टर, पे–रोल, निर्देशक की रिपोर्ट अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज जैसे कारोबारी रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है ।

12 **निरीक्षण का तरीका** :–सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों के आधार पर इकाई द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन कर सकता है और इकाई के मालिक अथवा पदाधिकारी अथवा प्रबन्ध मंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

4. **अयोग्यता** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे—बैंड तथा ग्रेड—पे/वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
कैमिस्ट	10* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है	सामान्य सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय	पीबी—2, 9300—34800/— रुपये + (ग्रेड पे 4200/—रुपये)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पाँच वर्ष तक शिथिलनीय) नोटः—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य एवं पोषाहार में स्नाकोत्तर उपाधि धारक अथवा डेयरी/तेल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि धारक अथवा पशु चिकित्सा आयुर्विज्ञान में डिग्री धारक या रसायनिक संस्था (भारत) द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषण अनुभाग में परीक्षा द्वारा रसायन संस्थान (भारत) का कोई एसोसिएट है तथा ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो। **टीप—1** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकरण के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप—2** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकरण के अभिमत से अनुसूचित

4818 DG/14—2

						जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रति–नियुक्ति/समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**वर्ग "ख" में विभागीय पदोन्नति समिति के** नामित सदस्य हैं: 1. प्रधान सचिव (स्वा. एवं परि. कल्या.), दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), दिल्ली सरकार – सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (स्वास्थ्य), दिल्ली सरकार – सदस्य	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुषमा सिंह, उप–सचिव (स्वा. एवं परि. कल्या.)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

NOTIFICATION

Delhi, the 5th December, 2014

No. F.7(190)12/DoFS/Admin/8973-82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification F.27/59-Him(i), dated 13th July, 1959, and in supersession of the notification No. F.2(15)/78-S.II, dated the 4th May, 1978 regarding the recruitment rules, in so far as they relates to the post of Chemist in the Department of Food Safety, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public Service Commission, is pleased to frame following rules regulating the method of recruitment to the post of Chemist in the Department of Food Safety, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**–(i) These rules may be called the Department of Food Safety, Chemist Recruitment Rules, 2014.

   (ii) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay**.-The number of post, their classification and Pay band, Grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to the these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, Qualification, etc.**-The method of recruitment of the said post, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax**. - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**. - Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	Whether Selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Chemist	10* (2014) * Subject to variation dependent on workload.	GCS Group- B Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2 , Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200/-	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Goverment servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pardesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of	Holds a Master's Degree in Chemistry or Bio-Chemistry or Micro-Biology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or hold bachelor of Technology in Dairy/Oil or holds degree in Veterinary Sciences from a University established in India by law or is an associate of the Institution of Chemistry

					Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(India) by examination in the section of Food Analysis conducted by the Institution of Chemist (India) and notified by the Government for such purposes. **Note-1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note-2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absoption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group "B" Departmental Confirmation Committee consisting of : 1. Pr. Secretary/Secretary (Health and Family Welfare) GNCT of Delhi - Chairman 2. Commissioner (Food Safety) GNCT of Delhi - Member 3. Special/Addl. Secretary (Health) GNCT of Delhi - Member	Not applicable.

By Order in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SUSHMA SINGH, Dy. Secy. (H&FW)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुसूची–2

क्रम संख्या	सांख्यिकी अधिकारी	कार्यक्षेत्र (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र)	पता
1	श्री रविकांत शर्मा, सहायक निदेशक (ए. एस. आई.), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, तृतीय तल, बी ब्लॉक, विकास भवन–2, अपर बेला रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. एम. एम. कुटटी, प्रधान सचिव (योजना)

DIRECRTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

NOTIFICATION

Delhi, the 5th December, 2014

No. F.9(26)/DES/ASI/2013-2014/9710-13.—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs collection of statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as "the Annual Survey of Industries 2013-14 (state samples)" as per the details mentioned in the Schedule-I given below.

2. The Hon'ble Lieutenant Governor further appoints the person as [also his/her successor in office] mentioned in Schedule-II given below, as Statistics Officer for the Annual Survey of Industries 2013-14 (state samples) in respect of geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in Part-I and Part-II in respect of the Annual Survey of Industries 2013-14 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Directorate of Economics and Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi.

5. All the persons engaged in any activity in respect of Annual Survey of Industries 2013-14 (state samples) are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011.

SCHEDULE-I

1. **Subject and purpose for collection of Statistics : -** Statistics relating to the growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2013-14.

2. **Geographical area for collection of Statistics : -** The Annual Survey of Industries 2013-14 will be conducted in the whole of National Capital Territory of Delhi, under the Collection of Statistics Act, 2008.

3. **Method of data collection :-** A notice will be issued by the Statistics Officer to the informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. The Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

4. **Nature of informants from whom data may be collected :-** The owner or occupier of a unit [i.e., a factory or an electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966], who would be issued notice by the Statistics Officer, shall furnish information about the unit.

5. The Statistics Officer may require such owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

6. **Period during which collection of Statistics may be completed:** - The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall during November, 2014 to June, 2015.

7. **Reference Period:** - Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2013 and ending on 31st March 2014 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April 2013 and on 31st March 2014.

8. **Nature of information to be collected:** - The information required has two parts. Part-I relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items – indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses etc. Part-II relates to information on different aspects of labour statistics, namely, working days, mandays worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

9. **Language in which information is to be furnished by informant:** - Every informant shall furnish information in the prescribed format either in Hindi or in English.

10. **Obligation of informant:** - The owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

11. **Nature of business records and other records which may be inspected:** - Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

12. **The manner of inspection:** - The Statistics Officer or any person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

SCHEDULE-II

S. No.	Statistics Officer	Jurisdiction State/UT	Address
1.	Ravi Kant Sharma, Assistant Director (ASI), DES, Delhi	NCT of Delhi	Directorate of Economics & Statistics, 3rd Floor, B wing, Vikas Bhawan-2, Upper Bela Road, Civil Lines Delhi-110054

By Order and in the Name of Lt. Governor,

of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. M. M. KUTTY, Pr. Secy. (Plg.)

खाद्य सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014

सं.फा. 7(190)/12/डीओएफएस/प्रशा./8973–82.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59–एचआईएम(I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य सुरक्षा विभाग से संबंधित भर्ती नियमों की दिनांक 4 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या फा. 2(15)/78–सेवा–2, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिये की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **कैमिस्ट** के पद के लिये भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(i) इन नियमों को खाद्य सुरक्षा विभाग, **कैमिस्ट** भर्ती नियमावली, 2014 कहा जायेगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण, पे बैंड, ग्रेड पे, तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।